FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

आई.सी.आई.सी.आई होम फाई. कं. बनाम विरेन्द्र कुमार बागलावगै0

(अप्रार्थी) (प्रार्थीगण)

किस्म मुकद्दमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002

प्रकरण **संख्या** 28 **वर्ष 2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-02-2020	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 22/2011 आदेश दिनांक 17.10.2013 से प्रार्थीगण की सम्पत्ति म0नं0 103–बी, तलवण्डी कोटा का सम्बन्धित बैंक के सुपुर्दगी में देने बाबत आदेश जारी किया गया था के विरूद्व पेश किया है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थी के मकान पर यह नोटिस चस्पा कर गये कि–"**आज दिनांक 13.2.2020 को आई सी आई सी आई होम फाईनेन्स के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत उक्त सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है । इसके अहाते में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश पर दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी** " प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त परिसर में जो अप्रार्थीगण का घरेलू सामान रखा हुआ था उसको निकालने नहीं दिया और उस सम्पत्ति पर ताला लगा दिया जिससे अप्रार्थीगण का खाने पीने, पहनने आदि सामान कूलर, फ्रीज, टीवी, सोने चांदी के जेवर, पलंग एवं आवश्यक घरेलू सामान निकालने नहीं दिये और कब्जा ले लिया । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी को हिदायत दी जावें कि अप्रार्थीगण का जो भी सामान मकान नं0 103–बी, तलवण्डी कोटा में बंद है वह समस्त सामान अप्रार्थीगण को रिलीज किया जाकर उनको सुपुर्द किये जाने की कृपा करें । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें । चूंकि प्रार्थी की अचल सम्पत्ति के ही सुपुर्दगी में देने के आदेश हुए थे, चल सम्पत्ति के नहीं । ऐसी स्थिति में मकान के अन्दर मौजूद चल सम्पत्ति खाने पीने, के सामान व अन्य चल सम्पत्ति पर प्रार्थीगण का अधिकार है । अतः प्रार्थीगण की चल सम्पत्ति जो बैंक द्वारा शील्ड मकान नं0 103–बी तलवण्डी कोटा में अन्दर रह गई है उसे प्रार्थीगण को दिलाने हेतु पुलिस की मौजूदगी में ताला खोला जाकर चल सम्पत्ति व अन्य सामग्री निकालने दिया जावें, जिसकी विडियोग्राफी कराई जावें, विडियोग्राफी का खर्चा प्रार्थीगण विरेन्द्र कुमार बागला द्वारा वहन किया जावेगी । सामग्री निकालने पर पुनः पूर्वानुसार	

Scanned by CamScanner

आदेश की पालना में यथावत शील्ड किया जावें । निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा व सम्बन्धित बैंक को भिजवाई जावें । पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर की जावें ।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner